

151



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्र० R-2753-III / स 14

कलिया उर्फ कल्ली तनय पुन्ना बढई

निवासी - ठकुराईन पुरवा तह० गौरिहार,

जिला छतरपुर म०प्र०

--- निगरानीकर्ता / प्रार्थिया

बनाम

1. सुत. लक्ष्मी पतिन कमतू ह बढई, - -
2. लाला भाईया तनय कमतू बढई, |
3. शिवदास तनय कमतू बढई, |
4. छोट तनय कमतू बढई, /
5. पप्पू तनय कमतू बढई, - - - - |
6. दादू तनय पुन्ना बढई,
7. कलू तनय रामदीन बढई,
8. भूरा तनय रामदीन बढई,
9. राजाराम तनय स्वामी

नाम निम बलीरपस्त  
नि. ग्वा  
पुर  
गुमान तह० गौरिहार  
जिला छतरपुर म०प्र०

10. राजकरण तनय स्वामीदीन

समस्त निवासीगण, ग्राम गुमानपुर

तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म०प्र०

11. रामलाल लखान तनय गोपाल सिंह,

यादव साकिन इमलाही, तह० गौरिहार,

जिला छतरपुर म०प्र०

--- प्रतिप्रार्थी/गैर निग. कर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा -50 म०प्र० भूरा म०प्र० सं०

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अमर कलेक्टर  
महोदय जिला छतरपुर दि. 5. /3/14 जो -

निगरानी प्र० क्र० 80/निगरानी/10-11 मे  
पारित किया गया ।

महोदय,

प्रार्थिया/निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी  
प्रस्तुत करती है :-

*Handwritten signature*

*Handwritten notes:*  
20/8/14  
20/8/14  
20/8/14

*Handwritten date:*  
20-8-14

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2753-तीन/2014

जिला-छतरपुर

कलिया उर्फ कल्ली विरुद्ध मुस.लक्ष्मी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 80/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(ओके0 जैन) सदस्य</p>	